किसान अनाज उगाता है, फिर भी उसे हर रुपये में से केवल एक-तिहाई हिस्सा ही मिलता है

शांतनु पेंडसे
पूर्व सीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया

भारत की आर्थिक व्यवस्था की सबसे बुनियादी और गहरी असमानता हमारी आँखों के सामने छुपी है। वह किसान — जो अनिश्चित आसमान से लड़ता है, जीवित मिट्टी को सींचता है और 140 करोड़ लोगों तक अनाज पहुँचाता है — बाजार में उस अनाज से कमाए गए हर रुपये में से मुश्किल से 5 पैसे ही अपने पास रख पाता है। बाकी का 95% हिस्सा बिचौलियों, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों और खुदरा विक्रेताओं की जेब में चला जाता है।

संरचनात्मक विरोधाभास

कृषि भारत के 45–50% कार्यबल को रोजगार देती है, फिर भी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान केवल 15–18% है। सेवा क्षेत्र, जो मात्र 31–33% लोगों को रोजगार देता है, सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 54–56% का योगदान करता है। यह केवल एक आर्थिक खाई नहीं है, यह एक व्यवस्थागत असंतुलन है।

नौकरीपेशा वर्ग को हर तिमाही महँगाई भत्ता (DA), वार्षिक वेतन वृद्धि और उनकी आय के अनुसार बने ऋण उत्पाद मिलते हैं। और किसान? वह हर मौसम में, अकेले, लागत की बढ़ती महँगाई का हर रुपया खुद झेलता है। एक साहसी और ऐतिहासिक सुधार की जरूरत बहुत पहले से बनती आ रही है, और अब यह और टाला नहीं जा सकता।

किसान वास्तव में क्यों असफल होते हैं

किसान मुख्य रूप से सूखे की वजह से नहीं, बल्कि इन कारणों से असफल होते हैं , संरचनात्मक रूप से अव्यवहार्य छोटी जोतें; सामूहिकता का अभाव; कार्यशील पूँजी जो कम है, महँगी है और सही समय पर उपलब्ध नहीं होती; और एक ऐसी सलाह-परामर्श व्यवस्था का लगभग न होना, जो उन्हें उत्पादक से प्रसंस्करणकर्ता बनने में मदद कर सके।

एक किसान दरअसल एक जीवंत, पूँजी-गहन उद्यम है जो अत्यधिक अनिश्चितता के बीच काम करता है, फिर भी उसे न तो वह संस्थागत सम्मान मिलता है और न ही वह समुचित वित्तीय ढाँचा, जिसका वह सच में हकदार है।

दुष्चक्र और उसके मूक पीड़ित

रासायनिक खेती, बंजर होती मिट्टी, पोषक तत्वों से रहित फसलें — ये सब एक टूटी हुई ऋण व्यवस्था के दुष्परिणाम हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्व — जो कभी भारतीय कृषि की रीढ़ थे — हमारी मिट्टी से लगातार गायब होते जा रहे हैं। शहरी भारत जिस जैविक उपज के लिए मोटी कीमत चुकाता है, वह अक्सर उस भूमि पर उगाई जाती है जो इतनी थकी और खाली हो चुकी है कि वास्तविक पोषण दे ही नहीं सकती। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) इसके परिणामों की पुष्टि करता है — आयरन की कमी, विटामिन D का पतन और जिंक की घटती मात्रा कोई अचानक आई आपदाएँ नहीं हैं — ये दशकों से किसान को एक आर्थिक उद्यम के रूप में नजरअंदाज किए जाने के परिणाम हैं।

अंतिम छोर तक पहुँचना: योजनाओं से किसान तक

कृषि के लिए भारत की नीतिगत महत्वाकांक्षा वास्तविक और व्यापक है — किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) में संशोधन, पीएम-किसान, भारत विस्तार, एग्रीस्टैक, कृषि अवसंरचना कोष (AIF) और पीएमएफबीवाई (PMFBY) एक अभूतपूर्व और बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अब अवसर इन सबके समन्वय में है — इन्हें इस तरह एक साथ लाना कि ये एक-दूसरे को मजबूत करें और किसान तक एक एकीकृत, सुगम और समझने योग्य प्रस्ताव के रूप में पहुँचें। कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मंत्रालय (MoFPI), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और नाबार्ड (NABARD) जैसी संस्थाओं की अच्छी मंशा वाली योजनाएँ अक्सर किसान तक बिखरे हुए टुकड़ों के रूप में पहुँचती हैं — हर योजना का अपना अलग चैनल और नामांकन प्रक्रिया होती है। सीमित जागरूकता, कम साक्षरता और सामूहिक निर्णय पर निर्भर किसान को एक ऐसे केंद्रीय संपर्क बिंदु की जरूरत है जहाँ सब कुछ एक साथ मिले।

भारतविस्तार—भारतकीउभरतीग्रामीणडिजिटल रीढ़ — वह सेतु बन सकता है, जो एग्रीस्टैक के लाभ, मिट्टी का डेटा, ऋण की सुविधा, बाजार के संकेत और योजनाओं की जानकारी स्थानीय भाषाओं में हर किसान के मोबाइल तक पहुँचाए।

वित्तीयसाक्षरताहरहस्तक्षेपकेसाथहोनीचाहिए। जब ऋण राहत दी जाए — चाहे माफी के रूप में हो या पुनर्गठन के रूप में — तो उसके साथ व्यवस्थित परामर्श भी दिया जाना चाहिए, ताकि किसान ऋण पात्रता फिर से बना सकें और उत्पादक पूँजी की ओर बढ़ सकें, न कि दोबारा कर्ज के जाल में फँस जाएँ।

पीएमएफबीवाई: वादे को पूरा करना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी फसल बीमा कार्यक्रमों में से एक है। इसकी संभावना अपार है, और अभी तक काफी हद तक अनुपयोगी भी। खेत स्तर पर जागरूकता अभी भी बहुत कम है; नामांकित कई किसान न तो अपनी बीमा कवरेज को समझते हैं और न ही दावा कैसे करें, यह जानते हैं। एक दो-चरणीय निपटान व्यवस्था इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकती है ; पहला चरण: अधिसूचित फसल नुकसान के कुछ दिनों के भीतर किसान के खाते में एक तत्काल और मामूली राशि सीधे जमा हो , ताकि वह गुजारे या दोबारा बुवाई के लिए साहूकार के पास न जाए । दूसरा चरण: तीस दिनों के भीतर पूरा और ऑडिट किया हुआ दावा निपटान। समय पर मिला बीमा ही परिवर्तनकारी बीमा है। जो बीमा किसान के पहले से कर्ज ले लेने के बाद पहुँचे, वह केवल उसके कर्ज का स्रोत बदलता है, बोझ नहीं।

एक पुनर्निर्मित कृषि ढाँचा

भारतकोबारहआयामोंमेंसंरचनात्मकपुनर्कल्पना की आवश्यकता है:

- पर्याप्त और समयपर ऋण — महँगाई-सूचकांक आधारित, जरूरत के अनुसार; किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) डिजिटल अंडरराइटिंग, स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़े चैनलों और सह-ऋण मॉडलों के जरिए उपलब्ध हो।
- भारत विस्तार + एग्रीस्टैक — ग्रामीण डिजिटल रीढ़ जो मिट्टी का डेटा, योजनाओं के लाभ, बाजार के संकेत और ऋण की सुविधा स्थानीय भाषाओं में हर किसान के मोबाइल तक पहुँचाए।
- पीएमएफबीवाई सुधार — दो-चरणीय भुगतान: नुकसान की सूचना पर तत्काल आंशिक राशि; 30 दिनों के भीतर पूरा ऑडिट किया हुआ निपटान।
- कर्ज के जाल से बाहर निकलने की साक्षरता — ऋण माफी के बाद व्यवस्थित परामर्श, ताकि किसान औपचारिक ऋण पात्रता फिर से बना सकें और सूदखोरी के चक्र में दोबारा न फँसें।
- जलवायु लचीलापन — सूखा-सहनशील किस्में, सूक्ष्म सिंचाई, कार्बन-स्मार्ट मृदा प्रबंधन — केवल पायलट परियोजनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि मुख्यधारा में लाया जाए।
- बड़े पैमाने पर सामूहिकता — राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) मॉडल पर आधारित किसान उत्पादक संगठन (FPO) — एक समर्पित राष्ट्रीय निकाय, सुरक्षित फंडिंग और पेशेवर प्रबंधन के साथ।
- राजनीति-मुक्त सहकारी समितियाँ — व्यावसायीकरण और स्वायत्त शासन सहकारी समितियों को वास्तविक किसान-सेवा संस्थाओं में बदले।
- प्रौद्योगिकी-आधारित दक्षता — भारत-विशिष्ट परिशुद्ध कृषि उपकरण, लचीली मशीनरी लीजिंग, मृदा स्वास्थ्य निगरानी — ताकि लागत बढ़ाए बिना उत्पादन बढ़े।
- पुनर्कल्पित कृषि शिक्षा — विश्वविद्यालय किसान के जीवन-चक्र परिणामों की ओर उन्मुख हों: साक्षरता, बाजार संपर्क, मूल्य संवर्धन और जलवायु अनुकूलन।
- भंडारण और बाजार संपर्क — खेत के पास सूक्ष्म कोल्ड स्टोरेज और दीर्घकालिक खरीद समझौते — ताकि फसल कटाई के समय मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचने की नौबत न आए।
- मूल्य श्रृंखला में भागीदारी — कृषि अवसंरचना कोष (AIF) और समन्वित योजनाओं का उपयोग करते हुए खेत पर ही प्रसंस्करण इकाइयाँ — ताकि आमदनी का एक सार्थक हिस्सा उत्पादक के पास वापस आए।
- किसान सम्मान — एक राष्ट्रीय ढाँचा — कृषि क्षेत्र का पद्म पुरस्कारों जैसा जवाब — जो खेती को वह गरिमा और गौरव लौटाए जिसकी वह हकदार है।

भारत एक पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना तब तक विश्वसनीय रूप से नहीं देख सकता, जब तक उसका सबसे जरूरी कार्यबल लागत घटाने के बाद मात्र 27 प्रतिदिन कमाता हो। आधी आबादी की नगण्य क्रय शक्ति पर खड़ी ऊँचाई संरचनात्मक रूप से खोखली है।

कृषि सुधार — राष्ट्रीय पोषण नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति, मिट्टी पुनरुद्धार की अनिवार्यता और ग्रामीण आर्थिक न्याय — यह सब एक साथ है।

140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला किसान इस देश का सबसे आवश्यक और जीवंत उद्यम है — और उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। यह सुधारात्मक न्याय नहीं है। यह वक्त की माँग है।

लेखक भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य महाप्रबंधक पद पर रह चुके हैं, जहाँ उन्होंने कृषि और MSME समावेशी वित्त में विशेषज्ञता हासिल की। वर्तमान में वे कई बोर्डों पर बोर्ड सलाहकार, परामर्शदाता और स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।